

अनुमति की शर्तें ।
 (1) जहाँ जहाँ/पुस्तकें के विभाग की स्वीकृत न्यायिक विधि नहीं करनी है ।
 (2) किसी भी प्रकार का विवाद न्यायिक न्यायाधीश या जजों के पास की शक्ति व विभाग का कोई प्रशासकीय नहीं होगा ।
 (3) जहाँ जहाँ विभाग किसी स्वीकृत के लिए उत्तरदायी होगा ।
 (4) जहाँ जहाँ विभाग कार्य प्रारम्भ करती ही आवश्यक विभाग को सूचित करेगा ।
 (5) स्वीकृत पत्रों के विपरीत विचारण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

सहायक निदेशकी लोक आवासीय प्रयोजनाधी

नगरपालिका नगर निगम, जोधपुर

संकेत संख्या 849 दिनांक 11/1/2021

श्री. दिनेश जैन डा. सी. नरेंद्र जैन

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008 प. No = 86 ग्राम- जोधपुर
 धारा 194 (2) (ग) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पत्र
 कर स्वनिर्धारण शक्ति रूपसे 19844/जिमा
 जारिसे स्वीकृत संख्या 2062/8798, 8799
 दिनांक 11/1/2021 को जमा करा दी है ।

असरा संख्या 335/62 गौरेह
 मरवाहर केम्पली नगर

12/1/2021

सहायक नगर नियोजकी
 नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

(Signature)
 6377120177